

UPHR060023672023



न्यायालय- सिविल जज (जूंड़िं)/एफ०टी०सी०, हरदोई

CIVIL SUIT/1807/2023

हरीराम बनाम रामेश्वर आदि।

दिनांक- 25.05.2026

समय- 02.10 A.M.

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित।

पत्रावली अंतरण द्वारा प्राप्त हुई है। कार्यालय से प्राप्त आख्या के अनुसार नियम 89 सामान्य नियम (सिविल), 1957 का अनुपालन किया जा चुका है।

समय- 03.00 P.M.

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित।

समय- 4.15 P.M.

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है प्रस्तुत वाद में पक्षकार लगातार अनुपस्थित हैं। पक्षकारों की सतत अनुपस्थिति के चलते वाद का अदम पैरवी में निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद, वाद सं०-1807/2023, हरीराम बनाम रामेश्वर आदि, पक्षकारों की सतत अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विशाल दीक्षित)

सिविल जज(जूंड़िं)/एफ०टी०सी०,
हरदोई।

(J.O. Code- UP 04880)